

राजस्थान सरकार  
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान  
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर  
W-6, रेजिडेन्सी रोड (गीरव फ्ल), जोधपुर (राज.)

फोन: 0291-5161120 फैक्स नं: 2532329, Visit us: <http://livelihoods.rajasthan.gov.in>,  
E-mail ID: [rajitiadmission18@gmail.com](mailto:rajitiadmission18@gmail.com)

क्रमांक: प.सं.7(11)/प्र-1/केन्द्रीप्रवेश/2018/1949/10805

दिनांक : 01.06.2018

राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (I.T.I's) में "केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया" के माध्यम से प्रवेश हेतु सूचना  
प्रवेश सत्र :: अगस्त 2018

सत्र अगस्त 2018 में राज्य की समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (I.T.I.'s) में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (N.C.V.T.) एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (S.C.V.T.) के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश तथा प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (N.C.V.T.) के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार है-

राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल <a href="http://sso.rajasthan.gov.in/">sso.rajasthan.gov.in/</a> E-Mitra कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की प्रारम्भ तिथि	18.06.2018
ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने, आवेदन/प्रोसेस शुल्क ई-मित्र के माध्यम से जमा कराने की अंतिम तिथि	09.07.2018

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु 01-08-2018 को 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
2. प्रवेश हेतु विभिन्न व्यवसायों की प्रवेश योग्यता 8 वीं, 10 वीं व 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण है।
3. अभ्यर्थी वेबसाइट लिंक <http://hte.rajasthan.gov.in> का अवलोकन कर प्रवेश के लिए उपलब्ध व्यवसाय, योजना व प्रवेश स्थानों, संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस इत्यादि की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
4. विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश संबंधी विस्तृत सूचनाएं एवं प्रवेश विवरणिका विभाग की वेबसाइट <http://livelihoods.rajasthan.gov.in> तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी उपलब्ध हैं।

**विशेष प्रोत्साहन:-**

राज्य सरकार द्वारा आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राज्य सरकार ने एनसीवीटी (NCVT) आईटीआई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को 10 वीं एवं 12 वीं के साथ समकक्षता प्रदान करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार 8 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा 02 वर्ष का एनसीवीटी (NCVT) आईटीआई पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लेने एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा 10 वीं के लिये निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु इसे 10 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा 02 वर्ष का एनसीवीटी (NCVT) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लेने एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु इसे 12 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। विस्तृत निर्देश हेतु प्रवेश विवरणिका का अवलोकन करें।

निदेशक प्रशिक्षण

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान (प्रशिक्षण शाखा)  
डब्ल्यू-6, रेजीडेन्सी रोड़ (गौरव पथ), जोधपुर-342011  
Web site: <http://livelihoods.rajasthan.gov.in>  
E-mail : [rajitiadmission18@gmail.com](mailto:rajitiadmission18@gmail.com)

राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केन्द्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश एवं  
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु  
विवरणिका एवं निर्देश :: सत्र 2018-2019  
संदर्भ सूची (Index)

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया	1
3	प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यताएं	2
4	योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी	2
5	प्रवेश में आरक्षण के प्रावधान संस्थान व व्यवसाय आवंटन की प्रक्रिया	3
6	प्रथम चरण	8
7	द्वितीय चरण	8
8	रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया	8
9	अपवर्ड मूवमेंट हेतु प्रक्रिया	9
10	तृतीय चरण	9
11	अंतिम आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना	9
12	इन्टरनल स्टाईडिंग	9
13	अन्य सामान्य अनुदेश एवं अनुशासनात्मक नियम	9
14	प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षणाधिकारियों को सुविधाएं	10
15	कक्षा -10 व 12 की समकक्षता हेतु दिशा-निर्देश	10
16	प्रवेश अनुमति प्राप्त प्राईवेट आईटीआई में प्रशिक्षण शुल्क	12

परिशिष्टों का विवरण:-

I	सैनिकों के आश्रितों द्वारा दिया जाना वाला प्रमाण पत्र	17
II	अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)/अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप	18
III	नॉन क्रीमीलेयर सम्बन्धी शपथ पत्र का प्रारूप	19
IV	नाम व उपनाम में अन्तर होने बाबत शपथ पत्र का प्रारूप	20

## 1. प्रस्तावना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में "शिल्पकार प्रशिक्षण योजना" (Craftsmen Training Scheme) का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजनान्तर्गत "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्" (NCVT) एवं "राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्" (SCVT) के निर्धारित एक व दो वर्षीय इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं:-

1. उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना।
2. तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्ति उत्पन्न कर स्वरोज़गार के लिए सक्षम बनाना।
3. औद्योगिक उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना तथा
4. प्रशिक्षार्थी को ज्ञान के साथ-साथ कौशल (अर्थात् कार्य को स्वयं द्वारा सम्पादित करने की सक्षमता) प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिदिन लगभग 8 घण्टे नियमित रूप से कार्य करना होता है। यह प्रशिक्षण मेहनत का है तथा प्रशिक्षण की अवधि में एवं प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार में हर प्रकार का रख-रखाव, सफाई और मेहनत का कार्य करना होता है। अतः अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले इस संबंध में यह निश्चय कर ले कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण का इच्छुक है तथा इसे अपनी जीविकोपार्जन का माध्यम बनाना चाहता है।

दो वर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रशिक्षार्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। 8वीं/10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दो वर्ष के एनसीवीटी कोर्स में प्रशिक्षण करने पर क्रमशः 10वीं/12वीं कक्षा की समकक्षता हेतु भी आवेदन कर सकता है।

राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई भी आदेश जारी करने पर वह तुरन्त प्रभाव से इस प्रक्रिया पर लागू किया जा सकेगा यथा संस्थानों की संख्या, सीटों की संख्या, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य नियम इत्यादि।

## 2. प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु नोडल एजेन्सी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण शाखा), राजस्थान, डब्ल्यू-6, गौरव पथ, जोधपुर- 342011 (Directorate of Technical Education (Training Wing) Rajasthan, W-6, Gaurav Path, Jodhpur- 342011) है।  
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अन्तरिम सूची (सीट मैट्रिक्स) वेबसाइट में दी गई है। इन प्रवेश स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। सत्र 2018-19 में "राष्ट्रीय/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्" से सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों, व्यवसाय व प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। ऑनलाइन ऑप्शन फार्म में संस्थान व व्यवसाय का ऑप्शन भरने से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। तदुपरांत ही ऑनलाइन ऑप्शन फार्म में प्रविष्टियां करें।
2. केन्द्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया 8वीं, 10वीं एवं 12 वीं उत्तीर्ण योग्यता वाले व्यवसायों हेतु की जाएगी।
3. आवेदन करना:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को वेबसाइट <http://hte.rajasthan.gov.in> अथवा <https://sso.rajasthan.gov.in> पर आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित शुल्क 100/- रुपये सामान्य अभ्यर्थी एवं 75/- रुपये एस.सी./एस.टी. अभ्यर्थी हेतु वक्त शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया में 100/- रुपये प्रोसेसिंग फीस भी जमा करानी होगी। आवेदन पत्र submit होने पर आवेदक को इसकी सूचना पोर्टल पर Know your status option पर प्राप्त होगी। नाम व उपनाम में अन्तर की अवस्था में परिशिष्ट - IV का उपयोग करें।

4. निर्धारित अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी पोर्टल पर ऑनलाइन संस्थान व व्यवसाय का विकल्प भरेगा। जिसके आधार पर उसे संस्थान व व्यवसाय का आवंटन किया जायेगा।
  5. ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक के पश्चात समस्त आवेदन पत्रों की श्रेणीवार अस्थाई योग्यता सूची जारी की जायेगी। अभ्यर्थी पोर्टल पर निर्धारित तिथि पर अपना योग्यता सूची क्रमांक देख सकता है।
  6. अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  7. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को संस्थान से निष्कासित किया गया हो तो वह दुबारा प्रवेश का पात्र नहीं होगा।
  8. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यवसाय में 05 अथवा 05 से कम प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश होने पर वह व्यवसाय संचालित नहीं किया जायेगा तथा प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा जमा करवाए हुए पंजीकरण शुल्क व प्रोसेसिंग फीस के अतिरिक्त सभी शुल्क लौटा दिये जायेंगे।
  9. प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र (जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है) अपवर्ड मूवमेन्ट की प्रक्रिया के पश्चात अन्तिम आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग के समय जमा कर लिये जायेंगे। ये मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का DGT के NCVT MIS PORTAL पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात सम्बन्धित संस्थान द्वारा लौटा दिये जायेंगे।
  10. प्रवेश सम्बन्धी समस्त विषयों पर निदेशक, प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
  11. डीजीटी के द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों/संशोधनों की पालना सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को करनी होगी।
- 3. प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यता:-**
1. अभ्यर्थी 8वीं/राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
  2. अथवा बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्षता के निर्धारण हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा समकक्ष निर्धारित की गई परीक्षाएँ ही मान्य होगी।
  3. प्रवेश में आयु सीमा:- अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 01 अगस्त को 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- 4. योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी:-**
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्रक्रिया/नियमों के तहत योग्यता सूची जारी की जायेगी : योग्यता सूची जारी करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा -
1. **प्रथम प्राथमिकता**  
निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी प्रथम प्राथमिकता के अन्तर्गत आयेंगे।  
1(A) जिन अभ्यर्थियों ने 8वीं/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा राजस्थान से उत्तीर्ण की हो।  
अथवा  
1(B) अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।  
अथवा  
1(C) अभ्यर्थी राजस्थान सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान/पत्नी/पति हो।  
अथवा  
1(D) अभ्यर्थी भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान/पत्नी/पति हो, जिनका पदस्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो।
  2. **द्वितीय प्राथमिकता:-**  
प्रथम प्राथमिकता के अतिरिक्त अन्य समस्त अभ्यर्थी, जो राज्य के मूल निवासी नहीं है, वे द्वितीय प्राथमिकता में सम्मिलित होंगे।  
प्रथम प्राथमिकता की श्रेणीवार योग्यता सूची जारी की जाती है तथा द्वितीय प्राथमिकता के अभ्यर्थियों को इस योग्यता सूची के अन्त में (सामान्य श्रेणी का मानते हुए) स्थान दिया जायेगा।

3. उपरोक्त प्राथमिकताओं के दृष्टिगत, योग्यता क्रमांक निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा:-
    1. योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा 8वीं/माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर अलग-अलग बनाई जायेगी।
    2. जिस अभ्यर्थी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से दसवीं परीक्षा पास की है, उसकी अंक तालिका में अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा।
    3. पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने अथवा अंक सुधार की स्थिति में बोर्ड द्वारा जारी अंतिम अंकतालिका के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रमांक का निर्धारण किया जायेगा।
    4. एक समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को जन्मतिथि के आधार पर पहले बड़े को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि जन्मतिथि भी समान हो तो क्रमशः विज्ञान, गणित के अंकों को मानते हुए अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
    5. अन्य राज्यों से शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएँ जिनका विवाह राजस्थान में हुआ है, प्रवेश हेतु उन्हें उसी जिले का निवासी माना जायेगा जिस जिले में उनका विवाह हुआ है। इसके लिए उन्हें सक्षम अधिकारी का विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
    6. केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु अंकतालिका के साथ स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) अथवा जन्मतिथि प्रमाण-पत्र (विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया गया हो) की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति अवश्य लगावें।
- नोट- संस्थान व व्यवसाय का आर्बटन होने के पश्चात अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग के समय आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका जमा करानी होगी जो कि केवल राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की ही मान्य होगी। गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षण संस्था की मान्यता की पुष्टि हेतु आठवीं कक्षा की अंकतालिका ब्लाक/जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करवा कर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा मान्य नहीं होगी।

5. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण:-

प्रवेश हेतु निर्धारित क्षमता के अनुसार आरक्षण एवं सुपरन्यूनरेरी स्थानों की स्थिति निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी:

व्यवसाय की पुनर्पुनर्स्थापना संहिता श्रेणी	अनुसूचित जाति 16%		अनुसूचित जनजाति 12%		अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) 21%		सामान्य वर्ग *	
	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
26	3	1	2	1	4	2	9	4
21	2	1	2	1	3	1	8	3
16	2	1	1	1	2	1	6	2

\* शानन सचिव, कार्मिक के पत्रांक एक 71(DOP/A-II)/2017 दिनांक 21.12.2017 द्वारा सैद्धिक संस्थाओं में उच्च पिछड़ा वर्ग को प्रवेश सीटों के आरक्षण के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत उच्च पिछड़ा वर्ग को संबंधित संस्थान में वर्ग में प्रवेश हेतु स्वीकृत कुल सीटों का 1% आरक्षण दिया जाएगा।

सामान्य श्रेणी से विन्न विन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवश्यक निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

5.1 श्रेणी—A: Gen/SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)

1. राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste, SC) के लिये 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe, ST) के लिये 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) (Other Backward Class, Non-Creamy layer) को 21 प्रतिशत आरक्षण देय है।
2. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर), अल्पसंख्यक एवं विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी जिलाधीश/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिस पर प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय

की सील होना आवश्यक है, संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) एवं विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) होने की पुष्टि में अभ्यर्थी को जिला प्रशासन/राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा जो कि आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से 01 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। इस प्रमाण-पत्र पर स्वयं का एवं पिता का नाम, उपनाम वही होना चाहिए जो कि अंक तालिका में है। किसी भी अभ्यर्थी के स्वयं अथवा पिता के नाम उपनाम, जाति आदि के संबंध में आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में अन्तर पाये जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश के 15 दिवस की अवधि में मूल प्रमाण-पत्रों के अनुरूप शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।

3. राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण के अधीन ही देय होगा। सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरी जा सकेगी। इसके पश्चात भी स्थान रिक्त रहने पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से योग्यताक्रम अनुसार प्रवेश किये जायेंगे। यह व्यवस्था सहरिया जाति युवाओं के लिये खोली गई औ.प्र.संस्थान, शाहबाद जिला बारा एवं देवनारायण योजना अन्तर्गत खोली गई औ.प्र.संस्थान, बानसूर जिला अलवर, सैपड जिला धौलपुर, झालरापाटन जिला झालावाड़, नादीती एवं सपोटरा जिला करौली, खण्डार जिला सवाईमाधोपुर पर एवं अल्पसंख्यक के हितार्थ औ.प्र. संस्थान, टोंक में मैकेनिक ट्रेक्टर एवं औ.प्र.संस्थान, जैसलमेर में मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय पर लागू नहीं होंगे।

**5.2 श्रेणी-B: EXS(a)/EXS(b)/EXS(c)/EXS(d) (For Candidates belonging to military services only as per norms),**

राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.1(47)त.शि./2007 दिनांक 18.03.08 के क्रम में रक्षा कार्मिकों के आरिक्तों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी में प्रवेश हेतु निम्न प्राथमिकता अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

आरक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी परिसिष्ट -I में दिये गये प्रारूप में आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं Discharge certificate and Pension Payment Order के आवश्यक 2-3 मुख पृष्ठों की स्कैन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तितगत काउन्सलिंग के समय Discharge certificate and Pension Payment Order की मूल एवं इसकी एक स्व-प्रमाणित छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

(i) EXS (a) Killed in action.

- (ii) EXS (b) Disabled in action and boarded out from service / Died while in service with death attributable to military service / Disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.
- (iii) EXS (c) Gallantry Award Winners.
- (iv) EXS (d) Ex-Servicemen.

1. The domicile requirement for the wards of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.
2. 50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilisation by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boy's category.
3. गैलन्ट्री अवार्ड विजेता के आश्रितों के अलावा शेष सभी सेवारत रक्षा कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
4. बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये यह आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा।

**5.3 श्रेणी—C: Physically Handicapped (PH),**

राज्य के सभी संस्थानों में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर प्रत्येक व्यवसाय/एकक में प्रवेश क्षमता के 03 प्रतिशत स्थानों पर योग्यता क्रमांक के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। ये स्थान, जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है, उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे।

उक्त आरक्षण का लाभ वे समस्त विशेष योग्यजन ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं पूरी कर सकते हों। विशेष योग्यजन अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं पूरी करता है अथवा नहीं तथा वह किस व्यवसाय के योग्य है, इस संबंध में विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, 4-स-23, सूर्य पथ, जवाहर नगर, जयपुर में उपस्थित होकर उपयुक्तता/पात्रता प्रमाण-पत्र लेकर ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आवेदन करें एवं इस संबंध में विशेष योग्यजन अभ्यर्थी संस्थान प्रधान से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

**5.4 श्रेणी—D: Widow/ Divorcee :-**

सभी व्यवसायों/यूनिटों में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत स्थान प्रत्येक वर्ग में आरक्षित रखे गये हैं। निर्धारित महिला अभ्यर्थियों के स्थानों में से विधवा और तलाक शुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित रखे गये हैं। जिनके उपलब्ध न होने पर ये स्थान उसी वर्ग में से अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

**5.5 महिलाओं को प्रवेश में आरक्षण:-**

सभी व्यवसायों में प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित रखे गये हैं। विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान उसी वर्ग/श्रेणी की अन्य महिला से भरे जायेंगे।

**5.6 अति पिछड़ा वर्ग को प्रवेश में आरक्षण के संबंध में—**

शारान सचिव, कार्मिक के पत्रांक एफ 7(1)DOP/A-II/2017 दिनांक 21.12.2017 द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में अति पिछड़ा वर्ग को प्रवेश सीटों के आरक्षण के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत अति अति पिछड़ा वर्ग को संबंधित संस्थान में वर्ष में प्रवेश हेतु स्वीकृत कुल सीटों का 1% आरक्षण दिया जाएगा।

\*उपरोक्त दोनों अनुवादों में किसी प्रकार का विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा।

**6. प्रथम चरण—**

6.1 ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् जारी मेरिट सूची अनुसार कटेगरी **B** (For Candidates belonging to Ex-Servicemen only as per norms), **C** (Physically Handicapped-PH), **D** (Widow/ Divorcee) के योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व व्यवसाय में सीट का आवंटन किया जावेगा।

6.2 आई.एम.सी. द्वारा किये जाने वाले प्रवेश के योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व व्यवसाय में सीट आवंटन किया जावेगा।

6.3 उपरोक्त कटेगरी B, C, D तथा आई.एम.सी. द्वारा किये जाने वाले प्रवेश के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन हो जाने के उपरान्त ऑनलाइन आवंटन में आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। इसके उपरान्त शेष रहे अभ्यर्थियों को इन श्रेणियों का लाभ नहीं देते हुए ऑनलाइन सीट आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा।

7. **द्वितीय चरण— केन्द्रीकृत ऑनलाइन द्वारा संस्थान व व्यवसाय आवंटन की प्रक्रिया** व्यक्तिगत काउन्सलिंग के उपरान्त शेष रहे समस्त अभ्यर्थियों के लिये संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र (option form) में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा। यह आवंटन पूर्णतया अन्तरिम (Provisional) होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विकल्प पत्र में प्रस्तुत विकल्पों में से सीट आवंटन नहीं होता है अर्थात् choice exhausted हो जाती है, उन्हें स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जावेगा।

8. **रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया:**

प्रथम आवंटन के उपरान्त वे अभ्यर्थी जिन्हें संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन होता है, वे आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट के साथ मूल प्रमाण-पत्रों की जांच करवायेगे। साथ ही उसे मूल प्रमाण-पत्रों की 1-1 स्वप्रमाणित फोटो प्रति व प्रवेश हेतु निर्धारित आंशिक शुल्क रुपये 3400/- (adjustable in fees) ई-मित्र पर जमा करवा कर शुल्क का चालान आवंटित संस्थान में जमा करवाना होगा। अभ्यर्थी के



समस्त दस्तावेजों की जाँच की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्थान की होगी। निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा एवं उस स्थान को प्रवेश के आगामी चरणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

नोट:- ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ई-निर्णय पर आंशिक शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित तिथि तक संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की गई अथवा जिनके मूल दस्तावेजों की जाँच उपरान्त प्रवेश के अपात्र पाये गये हो को नियमानुसार 1000/- कटौति की जाकर शेष राशि लौटाई जाएगी।

**9. अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु प्रक्रिया:-**

प्रथम आवंटन में आवंटित संस्थान एवं व्यवसाय के आधार पर निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करने के पश्चात् शेष रहे स्थानों पर विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों पर प्रवेश दिये जाने की प्रक्रिया अपवर्ड मूवमेन्ट कहलाएगी। प्रथम आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन हो जाता है, यदि ये अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेन्ट में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित दिनांक तक पोर्टल पर अपनी सहमति देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्पों के आधार पर ही अपवर्ड मूवमेन्ट द्वारा शेष रहे स्थानों को भरा जायेगा। अपवर्ड मूवमेन्ट होने पर अभ्यर्थी को पूर्व में किया गया आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा।

**10. तृतीय चरण:- केन्द्रीकृत ऑनलाइन द्वारा संस्थान व व्यवसाय आवंटन की प्रक्रिया**

प्रथम आवंटन की रिपोर्टिंग के पश्चात् रिक्त रहे स्थानों पर choice exhausted and upward movement द्वारा अभ्यर्थियों को द्वितीय आवंटन किया जायेगा।

द्वितीय आवंटन उपरान्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम बार सीट आवंटन हुआ है, वे रिपोर्ट करने के लिये आवंटित संस्थान में उपस्थित होंगे। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया प्रथम रिपोर्टिंग की भाँति ही रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के अपवर्ड मूवमेन्ट के बाद द्वितीय आवंटन के कारण स्थान परिवर्तित होता है, उन्हें अंतिम आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना है, अन्यथा उनका प्रथम एवं द्वितीय आवंटन निरस्त हो जायेगा।

**11. अंतिम आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना :-** समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय आवंटन में संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन हुआ है, वे निर्धारित अवधि में अंतिम आवंटित संस्थान में समस्त मूल प्रमाणपत्र (जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है) एवं शेष शुल्क सहित रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद्द हो जायेगा। रिपोर्टिंग के समय इनके समस्त मूल प्रमाणपत्र संस्थान में जमा कर लिये जायेंगे। ये मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का DGT के NCVT MIS PORTAL पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात् सम्बन्धित संस्थान द्वारा लौटा दिये जायेंगे।

**12. इन्टरनल स्लाईडिंग:**

ऑनलाइन इन्टरनल स्लाईडिंग के तहत प्रत्येक संस्थान में ऑनलाइन वाउन्सलिंग के प्रथम एवं द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूर्ण होने पर संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों को अन्तर व्यवसाय परिवर्तन का अवसर दिया जायेगा। इस हेतु व्यवसाय वार रिक्त रहे स्थानों पर ऑनलाइन आवेदन में भरे गये विकल्प की उच्च प्राथमिकता अनुसार व्यवसाय की इन्टरनल स्लाईडिंग की जायेगी।

**13. अन्य सामान्य अनुदेश एवं अनुशासनात्मक नियम :-**

1. यदि कोई प्रशिक्षार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपा कर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।
2. सुरक्षा एवं अनुशासन की दृष्टि से राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षार्थियों (छात्र/छात्रा) को स्काई ब्यू शर्ट/कुर्ता, नेवी ब्यू पेंट/सलवार एवं काले बूट/बेली पहननी होगी।
3. प्रवेश के बाद अभ्यर्थी किसी और पाठ्यक्रम अथवा संस्थान में नियमित अथवा अंशकालीन रूप से अध्ययन नहीं कर सकेगा तथा किसी अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा में नियमित अथवा स्वयंपाठी के रूप में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. परीक्षा में बैठने के लिये नियमानुसार आवश्यक 80 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण करनी होगी। किसी प्रशिक्षणार्थी के बिना पूर्व सूचना व अनुमति के संस्थान से अनुपस्थित रहने, उपस्थिति व प्रगति असंतोषजनक होने, संस्थान के अनुशासन को भंग करता पाये जाने अथवा उसका व्यवहार शैक्षणिक वातावरण के प्रतिकूल होने पर आचार्य/अधीक्षक को रु. 500/- तक का आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाने, किसी भी अवधि के लिये संस्थान से निलम्बन करने या संस्थान से नाम पृथक करने का अधिकार है।
5. विशेष मामलों में लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर सम्बन्धित संस्थान के आचार्य/अधीक्षक की अभिरक्षा पर संबंधित उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति से पुनः प्रवेश शारित के रूप में शुल्क रु. 500/- जमा कराने पर पुनः प्रवेश किया जा सकेगा। संस्थान से पृथक किये गये प्रशिक्षणार्थी को पुनः प्रवेश केवल उसी परिस्थिति में होगा जब उसकी उपस्थिति परीक्षा से पूर्व नियमानुसार पूर्ण होना संभावित होगी। संस्थान से नाम पृथक् करने एवं पुनः प्रवेश के बीच की अवधि को अनुपस्थिति में गिना जायेगा। यदि इस कारण से उसकी उपस्थिति कम हो जाती है और वह प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाता है, तो प्रशिक्षणार्थी स्वयं इसके लिये उत्तरदायी होगा।

**14. प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को सुविधाएं:-**

1. जिन संस्थानों में छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है, उन संस्थानों में छात्रावास की सुविधा हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को भोजन, बिजली व पानी का खर्चा स्वयं को वहन करना पड़ेगा।
2. छात्रावास न होने पर छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

**15. कक्षा -10 व 12 की समकक्षता हेतु दिशा-निर्देश:-**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.3 (2) शिक्षा -6/2015 दिनांक 04.05.2015 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक पत्रांक दिनांक: 12.10.2015 एवं इसके क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के पत्रांक रा.मा.शि.प./जय/V.E.GoR/2015-16/17512 दिनांक 04.12.15 द्वारा किये गए स्थायीकरण के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से दो या दो से अधिक वर्षों में मान्यता प्राप्त कोर्सज में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने, संकाय तथा प्रभावी निर्धारण हेतु बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक: ए.सी.ए./मा.शि.बो./2015/ 2979 दिनांक 03.06.2015 में अंशिक संशोधित व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है :-

**कक्षा -10 की समकक्षता हेतु-**

- (i) कक्षा-8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (1९97) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा-10 के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- (ii) उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा तथा आईटीआई की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा-10 के समकक्ष उत्तीर्ण माना जायेगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में आईटीआई के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।
- (iii) कक्षा-8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों के पूर्व एवं पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी कक्षा-10 की समकक्षता, हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

(क) उपर्युक्त वर्णित विन्दु सं. (i) से (iii) द्वारा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को मा.शि.बो. राजस्थान, अजमेर की उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु, आवेदन करने पर, बोर्ड कार्यालय से सशुल्क पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, आवेदन पत्र शामिल करना होगा।

**कक्षा -12 की समकक्षता हेतु-**

- (i) कक्षा-10 की परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर को कक्षा-12 के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जावेगा।
- (ii) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आईटीआई की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटीआई करने के पश्चात् उत्तीर्ण की हो।
- (iii) कक्षा-10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी कक्षा-12 की समकक्षता, अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
- (iv) उपरोक्त बिन्दु सं. (i) से (iii) में वर्णित परीक्षार्थियों द्वारा उच्च अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए बोर्ड कार्यालय से समकक्षता प्रमाण-पत्र सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

**संवाय निर्धारण-**

बिन्दु संख्या 2 के सभी उप बिन्दुओं में वर्णित कक्षा-12 की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संवाय का विद्यार्थी माना जायेगा।

**16. प्रवेश अनुमति प्राप्त प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण शुल्क :**

प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण संबंधी संस्थानों द्वारा अपने स्तर पर किया जाएगा। जिसकी सूचना प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी इसका अवलोकन कर आवेदन करें।

**CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY DEPENDENT OF DEFENCE PERSONNEL**

(To be attached with application form)

No.: .....

Date: .....

I ..... certify that  
 (Service No. Rank & Name of the Certifying Officer)  
 ..... who is  
 (Service No. Rank & Name of defence personnel )

natural father/mother of ..... is/was Defence Person

(Name of Applicant)

His/Her particulars are as follows:

1. Service No., Rank and Name of the person .....
2. Name of the Unit last Served .....
3. Date of enrolment ..... Date of death/discharge/retirement .....
4. He/She is/was ex-serviceman of Rajasthan origin and his/her home town as given by him/her at the time of his/her entry into service is .....
5. His/Her Registration/Identity Card No. is ..... dated ..... and P.P.O. No. is .....

**Category of defense persons for priority :**

( Tick (✓) which every is applicable and strike off whichever is not applicable)

EX-5(a) - Killed in Action

EX-5(b) - Disabled in action and boarded out from service / Died while in Service  
 with death attributable to Military Service / Disabled in service and boarded  
 out with disability attributable to Military Service.

Yes | No

EX-5(c) - Gallantry Award Winner.

Yes | No

EX-5(d) - Ex-Servicemen

Yes | No

Signature .....

Name .....

Seal of Officer

District Soldier Welfare Officer/ Commanding Officer

Name of District / Unit Number .....

**NOTE:**

1. Strikeout whichever is not applicable.
2. Definition of Ex-serviceman shall be as per Hand Book on Resettlement of Ex-servicemen (1995).
3. The domicile requirement for the ward of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off for wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan. The domicile condition is waived off to enable them to appear in the entrance test and be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.
4. 50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilization by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boys category.
5. Defence personnel should be of Rajasthan origin. The state of origin and the home town as entered in the discharge certificate/record shall only be accepted as proof in respect of above.
6. Copies of discharge certificate and P.P.O. should be submitted with the application and originals should be brought at the time of manual counseling.

**Certificate regarding Scheduled Caste/Tribe/ Non Creamy Layer OBC/MBC**

(This format is to be used with application form if the certificate issued by competent authority is not available  
इस प्रारूप का उपयोग तभी किया जाये यदि सक्षम अधिकारी  
द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र पूर्व से आवेदक के पास नहीं हो।)

No: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

I \_\_\_\_\_  
(Name of the District Magistrate/ Addl. District Magistrate/ S.D.M./ Tehsildar)

certify that Shri/ Ku. \_\_\_\_\_ is the natural born (not adopted)

son/daughter of Shri \_\_\_\_\_ and belongs to Scheduled

Caste/ Scheduled Tribe/ Non-Creamy Layer OBC/ Non-Creamy Layer MBC\*

\_\_\_\_\_ (Name of the caste) by birth as notified under Presidential

Order for the State of Rajasthan in \_\_\_\_\_ (village/tehsil) District

\_\_\_\_\_.

Court Seal :

Date:

Signature of the District Magistrate  
ADM/SDM/Tehsildar

*(This certificate must be signed by an Officer not below the rank of District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Sub Divisional Magistrate/ Tehsildar of the District/Sub Division/Tehsil of which the candidate is a resident)*

\* अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र यदि एक वर्ष से पुराना हो तो निर्धारित प्रमाण पत्र के साथ परिशिष्ट-III में निर्धारित आय प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रस्तुत करना होगा।

**नॉन किमीलेयर सम्बन्धी  
शपथ-पत्र**

आवेदक का आधार नम्बर.....  
 आवेदक/परिवार के मुखिया का नामांश का कार्ड संख्या.....  
 मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....  
 निवासी.....  
 गाँव/शहर..... तहसील..... जिला.....

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य/अति पिछड़ा वर्ग की जाति..... का/की सदस्य हूँ।
2. मेरे माता/पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपायबद्ध अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह क वर्ग-1, समूह ख वर्ग-2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल/जल/वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं/नहीं थे।
3. मेरे माता/पिता सरकारी/निजी क्षेत्र में..... पद पर कार्यरत है/थे।
4. मेरे माता/पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय..... रुपये हैं।
5. मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध करने को तैयार हूँ।
6. मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में मार्टिग्रेड (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
7. कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े वर्गों की किमीलेयर का हूँ/नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। सचन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपराजत का पता चलने पर, मेरी अभ्यर्षता/प्रवेश रद्द कर दी जायेगी और मैं ऐसी समस्त कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जायेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशाप करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

(नोट- उत्तरदायी व्यक्ति से आहत संसद सदस्य/निगम तथा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद  
/सदस्य/ संसद/ राजकीय अधिकारी/राजकीय कर्मचारी से है।)

नाम व उपनाम में अन्तर होने बाबत शपथ पत्र का प्रारूप  
(आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे)

मैं ..... (नाम) पुत्र/पुत्री श्री .....  
(पिता का नाम) आयु ..... जाति ..... नियासी .....  
..... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

- मेरा नाम व उपनाम मेरे पढाई के दस्तावेजों व जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों में ..... (गाम  
जैसा कि प्रमाण पत्रों में लिखा है) लिखा हुआ है लेकिन वास्तविकता में मेरा नाम .....  
..... (जैसा अंकतालिका में अंकित है) होना चाहिये जो अधूरा लिखा हुआ है।

**सत्यापन**

मैं अपने प्रार्थनापत्र की मद सं. 1 को अपनी निजी जानकारी में सही व सत्य होना स्वीकार  
करता/करती हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान : .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

दिनांक : .....

पूरा नाम .....

पता .....

(अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित किया जावे)